

(Handwritten signature)

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

दफ्तर है।
 होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ला दाखिल
 जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल श्रमण
 है। अतः पत्रावली सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की
 अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई आदेश प्रतीत नहीं होता
 मन्सूख हो गया है तो प्रथमतः प्रकरण में किसी प्रकार की
 आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
 में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी
 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
 न्यायालय राजस्थान बूँव जयपुर द्वारा दिनांक 10/7/1973 में
 अलाटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च
 विवादित भूमि से सम्बन्धित रेसोल्डेंस के हक में किया गया
 किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पत्रावली सरकार ने उक्त
 भूमि-आवंटन की शर्तों को अनुपालना नहीं की जाना जाहिर
 प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटन
 रेसोल्डेंस को भूमि-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा केषि
 अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
 हमने पत्रावली पर विचार किया तथा

हमने पत्रावली पर विचार किया तथा
 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
 अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
 प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटन
 किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पत्रावली सरकार ने उक्त
 विवादित भूमि से सम्बन्धित रेसोल्डेंस के हक में किया गया
 अलाटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च
 न्यायालय राजस्थान बूँव जयपुर द्वारा दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
 में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी
 आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
 अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई आदेश प्रतीत नहीं होता
 है। अतः पत्रावली सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की
 जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल श्रमण
 दफ्तर है।

23.11.16

विशेष विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
-------------	----------------------	---------------------------

57/2016
 बराम
 फर्द अहकाम
 दिनांक 11/12/2016